

सहायक कलेक्टर भरतपुर, भरतपुर

प्रकरण सं. दावा / 23 / 2018

दर्ज दिनांक:—16.03.2018

1. कमला देवी पता—

.....प्रार्थी

बनाम

2. राज0 सरकार पता—

.....अप्रार्थीगण

उपस्थित:

योगेश कुमार

प्राथी अभिभाषक
अप्राथी अभिभाषक

निर्णय

दिनांक:—23.06.2018

आज यह पत्रावली राजस्व लोक अदालत / कैम्प कोर्ट फुलवारा पर पेश। पत्रावली का अवलोकन किया। दावा वाद ग्रस्त आरजी के विधिवत आराजी की है। जिसमे समस्त सह खातेदार आवश्यक पक्षकार होते है। परन्तु वादिया द्वारा प्रेमवती पत्नि विजयसिंह दीपक पुत्र विजयसिंह व जयसिंह पुत्र रामसिंह को पक्षकार मुकदमा नहीं बनाया है। दावा वादिया नोन जोइन्डर ऑफ नेशेसरी पार्टी के दोष से ग्रसित है। अतः दावा वादिया खारिज किये जाने योग्य है।

अतः आज्ञा है कि:—

दावा वादिया खारिज किया जाता है। पर्चा डिक्री जारी है। पत्रावली फैसल शुमार होकर दा.द.हो।

(PUSHKAR KUMAR MITTAL)

सहायक कलेक्टर भरतपुर, भरतपुर